अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

No - 3760

क्रमांकःअ.वि.वि.नि.लि.,/अ.एवं प्र.नि/अ अ(योजना)/प्रे. दिनांकः 26 OCT 2002

आदेश–491.

राज्य में अकाल व सूखे को ध्यान में रखते हुए कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से जिन किसानों के कुए सूख गये है उनके अस्थाई सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रावधान निगम के आदेश संख्या 81 दिनांक 10.5.2002 (आर.ई.अज–26) के द्वारा दिनांक 31.5.2002 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया था।

अब कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए जिन किसानों के कुए सूख गये है, जिन्होनें उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत 31.5.2002 तक कनेक्शन कटवाने का आवेदन नहीं किया है तथा उन्हें बिजली काम में नहीं लेने पर भी न्यूनतम बिल अथवा फ्लेट रेट के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है, ऐसे किसानों को राहत देने के लिए तुरन्त प्रभाव से 1 सितम्बर'2003 तक की अवधि के लिए स्वेच्छा से अपना कनेक्शन कटवाने का मौका मिलेगा तथा इस अवधि में कोई न्यूनतम बिल अथवा फ्लेट रेट बिल नहीं लिया जायेगा। 1सितम्बर से 15 सितम्बर'2003 तक ऐसे किसान बिना किसी चार्ज के कनेक्शन को जुड़वा सकेगें।

कुआ सूखने के कारण कनेक्शन कटवाने वाले किसानों की बकाया राशि की वसूली भी 15 नवम्बर'2003 तक नहीं की जायेगी। कनेक्शन कटे होने की अवधि में सम्पूर्ण ब्याज की भी छूट दी जायेगी।

कुआ सूखा होने सबंधी प्रमाण पत्र भी केवल सहायक अभियन्ता द्वारा ही दिया जाना है।

26.X.02
(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

53/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

66

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (पवस / वाणिज्य / सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि, ...
4. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...
5. उपसचिव (प्रशा. एवं का.– I / II),अविविनिलि, अजमेर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ... ।
7. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

26.10.02

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

54/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

67